न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–41/2025

जी.सी.एम.एस.नं.–2025/76

भारती पत्नी श्रीराम जाति कुम्हार निवासी चक 16 ए श्याम नगर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——वादीया

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———–प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपथित–

1. श्री सोमदत कचोरिया एडवोकेट वादीया की ओर से
2. राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक 25/02/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 8 एल एम (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–9 पं.नं.–281/480 का कि.नं.–13, 14 प्रत्येक की 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025 खाला, 65/1 का 0.228, 65/2 का 0.025 खाला, 17 का 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी वादीया के नाम पार्वती पत्नी श्रीराम के से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। वादीया निवेदन करती है कि वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि वादीया की जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा है जो खरीद के रोज से निरन्तर वादीया के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादीया खातेदार कृषक है। वादीया का सही नाम भारती है लेकिन उसका घरेलू नाम पार्वती होने के कारण वादीया को घर में व रिश्तेदारी में दोनो नामों पार्वती व भारती के नाम से जानते व पुकारते थे वादीया परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादीया भी ग्रामीण परिवेश की महिला है वादीया के पति द्वारा बैयनामा लिखवाते समय सहबन से वादीया का घरेलू नाम पार्वती पत्नी श्रीराम प्रलेख लेखक को बता दिया था जिस कारण दस्तावेज में वादीया का नाम पार्वती दर्ज हो गया और उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में पार्वती पत्नि श्रीराम के नाम से ही वर्ज हुई जो कि एक सबनाविक एवं मानवीय भूल है। वादीया का सही व वास्तविक नाम भारती ही है लेकिन वादीया को उसके घरेलू नाम पार्वती के नाम से पुकराते थे इस प्रकार पार्वती व भारती वादीया का ही नाम है तथा वादीया को इन दोनो नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादीया को पुर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था वादीया को माह मार्च 2022 में उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर वादीया ने अपना नाम भारती पत्नि श्रीराम नाम परिवर्तन करवाने के लिऐ सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हुऐ राज्य केन्द्रीय गहमत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष चाराजोई की जिस पर केन्द्रिय सरकार नई दिल्ली द्वारा (गजट नोटिफिकेशन) भारत का राज पत्र के रजिस्ट्री सं. डी.एल.(एन) 04/0007/2003–22 दिनांक 16 अप्रैल 2022 प्राधिकार से प्रकाशित करते हुऐ वादीया [illegible] पार्वती पत्नि श्रीराम से भारती पत्नि श्रीराम परिवर्तित कर दिया गया तत्प[illegible] पत्नि श्रीराम के नाम से परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड [illegible] आधार, आयकर [illegible] का कार्ड इत्यदि [illegible] दस्तावेजात वादीया के परिवर्तत नाम भारती पत्नि श्रीराम के नाम से ही बने है जिन [illegible] दस्तावेजात की प्रतिया सलग्नं वाद पत्र है जिनसे भी यह स्प[illegible] साबित है कि पार्वती व [illegible] एक ही महिला है जो वादीया के नाम है। आज से अरसा 5 दिन पूर्व वादी पटवारी हल्का के पास गयी और राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम पार्वती के स्थान पर परिवर्तित नाम भारती दर्ज करने का कहा तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिऐ माननीय न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:59 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में चाराजोई करने के लिऐ कहा जिस पर वादीया तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादीया के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–2 होने के कारण वादीया को काफी मुशकिलात का सामना करना पड रहा है। क्योकिं राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम गलत रूप से पार्वती दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त आवश्यक दस्तावेजात में वादीया का नाम परिवर्तित नाम भारती दर्ज है। जिससे यादीया को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के सम्बध में उपयोग उपभोग करने मे वादीया को काफी दिक्कत एवं परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिऐ भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहबन से गलत दर्ज हुऐ नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम भारती पत्नि श्रीराम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादीया को दो अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पडे और वादीया अपने सही नाम भारती के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादीया माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने की विधिक अधिकारी एवं दावेदार है।

अतः वादीया के गलत नाम पार्वती पत्नी श्रीराम को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया का सही नाम भारती पत्नी श्रीराम घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीया के दर्ज गलत नाम पार्वती को दुरस्त कर उसके स्थान पर सही नाम भारती पत्नी श्रीराम दर्ज किए जाने का आदेश प्रतिवादी को दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादीया के नाम से मूल निवास व अन्य रिकार्ड होने पर ही वादीया ने पार्वती नाम से भूमि का बैयनामा अपने नाम से करवाया न की सहवन से बैयनामा में दर्ज करवाया गया है। पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति व रिकार्ड के अनुसार वाद पत्र में दर्ज अनुसार पार्वती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज। वादीया का नाम गलत नाम से नही होकर पूर्व के रिकार्ड के अनुसार ही है। वादीया के द्वारा अपना नाम में परिवर्तन करवाया गया है प्रकरण में पटवारी हल्का रिर्पाट मय मौका फर्द प्रति इस पत्र के सलग्न करके श्रीमान जी सेवा मे जवाग राज्य पक्ष सादर प्रस्तुत है। रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत 15 ए(बी) दिनांक 22.01.2026 मे जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत 15 ए(बी) दिनांक 22.01.2026 मे जारी प्रमाण–पत्र आधार पर वादीया का नाम पार्वती पत्नी श्रीराम के स्थान पर भारती पत्नी श्रीराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादीया बहक वादीया विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 8 एल एम (बी) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–9 पं.नं. –281/480 का कि.नं.–13, 14 प्रत्येक की 0.253, 15/1 का 0.228, 15/2 का 0.025 खाला, 65/1 का 0.228, 65/2 का 0.025 खाला, 17 का 0.253 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादीया का नाम पार्वती पत्नी श्रीराम के स्थान पर भारती पत्नी श्रीराम का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश की राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज **दिनांक** 25/02/26 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला ... जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़